न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 4 / 2024
(जीसीएमएस संख्या 2024 / 23)

निर्णय दिनांकः– 05-02-2[illegible]

1. नाता पुत्री सामन्द जाति मुसलमान निवासी राणेवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2022
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः
1. श्री अजय ओझा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2022 जिसके द्वारा अपीलांट्स का दावा खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र घोषणात्मक व प्राप्त करने चिरस्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाके ग्राम राणेवाला तहसील पूगल के खसरा नम्बर 160 हाल चक 6–डी.डी. मुरख्या नं 149/5 के किला नं 1 ता 8, 15 तादादी 9 बीघा मुरब्बा नम्बर 129/7 के किला में 15,16 व 25 कुल तादादी 3 बीघा, मुरब्बा नं. 149/4 के किला नं 1 ता 25 तादादी 24 बीघा इस प्रकार उक्त तीनों मुरब्बो की कुल तादादी 36 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अपीलांटा को ग्राम राणेवाला तहसील पूगल के ख.नं. 160 की 36 बीघा बारानी भूमि का आवंटन सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ मुकाम बीकानेर के द्वारा किया गया था जिसका आवंटन आदेश 22.09.1990 को अपीलांटा के नाम से जारी किया गया था। अपीलांटा उक्त आवंटित कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करती रही है तथा अपनी आवासीय ढाणी भी बनाई हुई है जिसमे अपने परिवार सहित आबाद है। चक प्लान आने पर उक्त आवंटित कृषि भूमि के चक 6 डी.डी. कायम किये जाकर मुरब्बा नम्बर 149/5 के किला नं 1 ता 8, 15 तादादी 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 149/4 के किला नं 1 ता 25 तादादी 24 बीघा, 149/60 के किला नम्बर 15, 16 व 25 कुल 3 बीघा इस प्रकार उपरोक्त तीनों मुरब्बो की कुल तादादी 36 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड बनाये गये जिस पर अपीलांटा काबिज होकर काश्त कर रही है। पानी की पर्चियां भी अपीलांटा के नाम से जारी की गई तथा रेवन्यू रिकार्ड, गिरदावरियां आदि मे अपीलांटा बतौर काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अपीलांटा द्वारा अपनी उपरोक्त आवंटित जैर अपील कृषि भूमि जो चक प्लान मे आ जाने के पश्चात कमाण्ड व अनकमाण्ड के अनुसार राशि राजकोष मे जमा कराने हेतु सदैव तैयार व तत्पर रही है। अपीलांटा द्वारा जैर अपील कृषि भूमि की रिकॉर्डेड काश्तकार खातेदार घोषित कराये जाने एवं अपीलांटा को विधिक प्रक्रिया अपनाये बगैर बेदखल नहीं किये जाने के सन्दर्भ मे ही दावा घोषणा एवं चिर निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये दावा के माध्यम से उक्त जैर अपील कृषि भूमि के दिये जाने वाले आदेशो की पालना में खातेदारी एवं राजकोष में जमा कराये जाने वाली राशि हेतु अपीलांटा सदैव तैयार व तत्पर रही है। अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जवाब स्टेट आफ राज. जरिये पेरोकार एवं नायब तहसीलदार पूगल के द्वारा 19.07.2019 को पेश किया गया है जिसका अवलोकन करने से साफ जाहिर होता है कि राजपत्र मे वर्णित ख.नं. 160 तादादी 36 बीघा के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

चक प्लान आ जाने के पश्चात चक 6 डी.डी. कयम किया जाकर मुरब्बा नम्बर 149/5 के किला नं 1 ता 8, 15 तादादी 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 149/4 के किला नं 1 ता 25 तादादी 24 बीघा, 149/60 के किला नम्बर 15, 16 व 25 कुल 3 बीघा इस प्रकार उपरोक्त तीनों मुरब्बो की कुल तादादी 36 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड बने है तथा उपरोक्त कृषि भूमि पर अपीलांटा काबिज काश्त है तथा आवासीय ढाणी भी बनी हुई है के तथ्य अपने जवाब में पेरोकार राज द्वारा अंकित किये गये है। इससे स्पष्टतया साबित होता है कि अपीलांटा को आवंटित कृषि भूमि ग्राम राणेवाला के ख.नं. 160 तादादी 36 बीघा बारानी के चक प्लान के पश्चात चक 6 डी.डी. कयम किया जाकर मुरब्बा नम्बर 149/5 के किला नं 1 ता 8 , 15 तादादी 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 149/4 के किला नं 1 ता 25 तादादी 24 बीघा, 149/60 के किला नम्बर 15, 16 व 25 कुल 3 बीघा इस प्रकार उपरोक्त तीनों मुरब्बो की कुल तादादी 36 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड बने है तथा उस पर अपीलांटा की आवासीय ढाणी बनी हुई है कब्जा कारत अपीलांटा का है। अपीलांटा अपना दावा साबित करने मे पूर्णतया सफल रही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांटा का दावा खारिज किया जाना कतई न्यायोचित नही है अपितु न्याय निर्णय के खिलाफ है।

अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट पटवार हल्का धोधा दिनांक 16.07.2021 में भी अंकित किया गया है कि मुताबिक जमाबन्दी चक 6 डी.डी. के मुरब्बा नं 129/60 में 6.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड, मुरब्बा नं 149/4 में 24 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 149/5 में 24 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है वर्तमान में मौके पर मुरब्बा नं 149/4 के किला नम्बर 13 में प्रार्थीया की ढाणी बनी हुई है व प्रार्थीया का उक्त रकबे पर भौतिक रूप से कब्जा है। प्रार्थीया सपरिवार ढाणी में निवास करती है। उक्त रिपोर्ट पटवार हल्का धोधा द्वारा तहसीलदार, भू.अ. पूगल को पेश की गई है जिससे भी साफ जाहिर होता है कि जैर अपील कृषि भूमि पर अपीलांटा काबिज काश्त है तथा अपनी आवासीय ढाणी मे अपने परिवार सहित आबाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी संख्या 1, तनकी संख्या 2, तनकी संख्या 3 और तनकी संख्या 4 साबित करने मे अपीलांटा पूर्णतया सफल रही है जिसकी ताईद जवाब पैरोकाराज दिनांक 19.07.2021 व रिपोर्ट पटवार हल्का धोधा दिनांक 16.07.2021 से होती है ऐसी स्थिति में अपीलांटा अपना दावा अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समक्ष साबित करने मे पूर्णतया सफल रही है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांटा को उसकी जैर अपील कृषि भूमि से महरूम करने की गर्ज से तथा जबरिया बेदखल करने के इरादे से अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को आनन फानन में बिना विधिक प्रावधानो पर गौर फरमाये एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात साक्ष्य सबूत एवं तथ्यों पर बगैर गौर फरमाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री दिनांक 30—11—2022 उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांटा दिनांक 12.07.2022 को अपनी साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य पेश करने के पश्चात अपने अधिवक्ता से बातचीत की तो अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अब उक्त पत्रावली में आपको आने की जरूरत नहीं है जब आपकी जरूरत होगी या कोई सूचना देनी होगी तो आपको सूचित कर दिया जायेगा। जिस पर अपीलांटा अपनी जैर अपील कृषि भूमि के कृषि कार्य एवं देखरेख लग गई। काफी समय तक जैर अपील कृषि भूमि के सम्बन्ध में वकील साहब द्वारा कोई सूचना नहीं दिये जाने पर अपीलांटा दिनांक 05.12.2023 को पूगल आई और अपने अधिवक्ता से मिलने उनकी सीट पर गई तो वहां पर अधिवक्ता नहीं थे जिस पर अपीलांटा अपने खेत चली गई तथा दिनांक 06.12.2023 को पुनः पूगल अपने अधिवक्ता से मिलने आई तो पता चला कि वकील साहब अन्य कार्य से बाहर गये हुए है तो अपीलांटा के द्वारा अन्य अधिवक्ता की मार्फत अपनी वाद पत्रावली के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय मे चाराजोही की गई तो जानकारी में आया कि अपीलांट द्वारा वाद पत्रावली को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.11.2022 को खारिज कर दिया गया है। जिस पर दिनांक 06.12.2023 को अधिवक्ता के मार्फत सम्पूर्ण जैर अपील आदेश पत्रावली की प्रमाणित नकल हेतु नकल आवेदन पत्र पेश किया गया। बाद तैयार नकल दिनांक 06.12.2023 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जैर अपील निर्णय दिनांक 30.11.2022 की जानकारी अपीलांटा को हुई जिस पर बिना किसी विलम्ब के अपील मे लगने वाले हर्जे खर्चे की व्यवस्था कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपीलांटा द्वारा मियाद गुजरने के बाद अपील पेश की गई है। तथा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के जो कारण दर्शित किये है वे संतोषप्रद नही है। अतः अपीलांटा की अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में सर्वप्रथम जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2022 के विरूद्व अपील दिनांक 18–12–2023 को प्रस्तुत की गई है। मियांद पर अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांटा दिनांक 12.07.2022 को अपनी साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य पेश करने के पश्चात अपने अधिवक्ता से बातचीत की तो अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अब उक्त पत्रावली में आपको आने की जरूरत नहीं है जब आपकी जरूरत होगी या कोई सूचना देनी होगी तो आपको सूचित कर दिया जायेगा। जिस पर अपीलांटा अपनी जैर अपील कृषि भूमि के कृषि कार्य एवं देखरेख लग गई। काफी समय तक जैर अपील कृषि भूमि के सम्बन्ध में वकील साहब द्वारा कोई सूचना नहीं दिये जाने पर अपीलांटा दिनांक 05.12.2023 को पूगल आई और अपने अधिवक्ता से मिलने उनकी सीट पर गई तो वहां पर अधिवक्ता नहीं थे जिस पर अपीलांटा अपने खेत चली गई तथा दिनांक 06.12.2023 को पुनः पूगल अपने अधिवक्ता से मिलने आई तो पता चला कि वकील साहब अन्य कार्य से बाहर गये हुए है तो अपीलांटा के द्वारा अन्य अधिवक्ता की मार्फत अपनी वाद पत्रावली के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय मे चाराजोही की गई तो जानकारी में आया कि अपीलांट द्वारा वाद पत्रावली को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.11.2022 को खारिज कर दिया गया है। जिस पर दिनांक 06.12.2023 को अधिवक्ता के मार्फत सम्पूर्ण जैर अपील आदेश पत्रावली की प्रमाणित नकल हेतु नकल आवेदन पत्र पेश किया गया। बाद तैयार नकल दिनांक 06.12.2023 को प्राप्त होने पर प्रथम बार जैर अपील निर्णय दिनांक 30.11.2022 की जानकारी अपीलांटा को हुई जिस पर बिना किसी विलम्ब के अपील मे लगने वाले हर्जे खर्चे की व्यवस्था कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपील स्पष्ट तौर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर मियादं बाहर प्रस्तुत किये जाने से अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटा को सर्वप्रथम दिनांक 06–12–2023 को हुई। प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत किये जाने का कथन अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम में अंकित किया है जिसके समर्थन में अपीलांट ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसके काउण्टर में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए व गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना श्रेयस्कर होने के बिन्दु के मध्यनजर अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपीलांटा/वादीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए पेश किया गया। जिसमें स्टेट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नाकिंत चार तनकीयात कायम की गई–

तनकी संख्या 1 – आया कि वादी को बतौर भूमिहीन ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 160 में 36 बीघा भूमि तत्कालीन सहायक आयुक्त उपनिवेशन में दिनांक 22–09–1990 को पुख्ता आवंटन की थी।

तनकी संख्या 2– आया कि ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 160 में आवंटित 36 बीघा भूमि चक प्लान बनने से चक 6 डीडी के मुरब्बा नम्बर 129/60 में 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 149/4 में 24 बीघा, मुरब्बा नम्बर 149/5 में 9 बीघा मुरतिब है।

तनकी संख्या 3– आया कि आवंटन आदेश में उल्लेखित भूमि की कीमत भरवाई जाकर वादीयो को वादग्रस्त भूमि की खातेदार घोषित किया जावे।

तनकी संख्या 4– आया कि वादिया को तत्कालीन श्रीमान सहा. आयुक्त उपनिवेशन द्वारा ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 160 में बीघा बारानी भूमि दिनांक 22–09–1990 को भूमिहीन आवंटन हुई थी जो सीएडी सर्वे से चक 6 डीडी के मुरब्बा नम्बर 129/60, 149/05

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कमाण्ड/अनकमाण्ड में पैमूद हुई है वर्तमान मे चक 6 डीडी के मुरब्बा नम्बर 149/4 के किला नम्बर 13 में वादिया की ढाणी बनी हुई है। वादीया द्वारा इन तनकियो को साबित करने के लिए आवंटन आदेश, सूची नम्बर 4, पी–14 गिरदावरी संवत 2063 से 2073, सिंचाई पानी की पर्ची, इस भूमि के पड़ौसियों जल्लेखां पुत्र खुदाबक्श, बशीर पुत्र जल्लेखां के शपथ पत्र पेश किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजी साक्ष्यो का तनकीयात के निर्णय में कोई उल्लेख नही किया गया। बिना तार्किक विवेचन किये सभी तनकियो के निर्णय मे केवल यह लिखकर कि प्रश्नगत भूमि अराजीराज है वादीया के विरूद्ध निर्णित कर दी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो की अनदेखी की है। अपीलाधीन निर्णय में इन दस्तावेजी साक्ष्यो पर तार्किक विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। सभी तनकियो का निर्णय एक ही कॉमन लाईन के आधार पर कर दिया गया है। तनकियो का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के विरूद्ध किया गया है। जो कि विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पुष्टि योग्य निर्णय नही है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–11–2022 निरस्त कर पत्रावली इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभय पक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तार्किक विवेचन करते हुए तनकीवार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. निर्णय आज दिनांक 05-02-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर